

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)



प्रेषक :- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)
लोक सूचना अधिकारी
प्रेषित :- श्री धीरज कुमार परिहार,
जूनीबागर, महामन्दिर,
जोधपुर।

क्रमांक : प. 14(2)वित्त/नियम/2011पार्ट -39

जयपुर, दिनांक :

12 SEP 2012

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक शून्य प्राप्ति दिनांक 09.08.2012

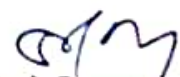
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :-

विन्दु संख्या	चाही गई सूचना	तथ्यात्मक टिप्पणी
1.	1 अप्रैल 2004 से पूर्व राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 1 जनवरी 2006 के पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में -	पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एवं इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में -
	(i) उसके द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाथी के रूप में की गई सेवावधि हेतु पूर्व के पद के विद्यमान वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी अथवा नहीं।	(i) उसके द्वारा विद्यमान पद के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
	(ii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि का लाभ देय होगा अथवा नहीं	(ii) उसके द्वारा विद्यमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर विद्यमान वेतनमान में वेतन के साथ समय-समय पर लागू महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार महंगाई भत्ता देय है।
	(iii) उस कर्मचारी की सेवाएं पेंशन नियम 1996 के अन्तर्गत संचालित होगी अथवा वह नवीन अशदायी पेंशन योजना का सदस्य होगा।	1 जनवरी, 2004 से पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एवं इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
	(iv) उस कर्मचारी के वेतन से सामान्य प्रावधानी निधि एवं आरपीएमएफ. की कटौती की जायेगी अथवा नहीं।	1 जनवरी 2004 से पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एवं इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उस कर्मचारी के वेतन से सामान्य प्रावधानी निधि एवं आरपीएमएफ. की कटौती की जायेगी।
	(v) उस कर्मचारी को गिकित्सा दिला के पुनर्मरण की सुविधा जारी रहेगी अथवा नहीं।	1 जनवरी, 2004 से पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एवं इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उस कर्मचारी पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा पुनर्मरण) नियम लागू होंगे।

	(vi) उस कर्मचारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने पूर्व की गई राजकीय सेवा के दौरान अर्जित उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवेतन अवकाश/रूपान्तरित अवकाश जो उसके अक में बकाया हो, का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन सेवा अवधि के दौरान उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं।	पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एव इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उसको पूर्व पद पर अर्जित अवकाश से अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
2	एक अप्रैल 2004 के पश्चात् एव 20 जनवरी 2006 से पूर्व राज्यसेवा में नियमित नियुक्त राज्य कर्मचारी के राज्यसेवा में 20 जनवरी 2006 के पश्चात् की स्थिति में उच्च पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की स्थिति में :-	पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एव इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में -
	(i) उसके द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई सेवावधि हेतु पूर्व के पद के विद्यमान वेतन बैंड में वेतन एव ग्रेड वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी अथवा नहीं।	(i) उसके द्वारा विद्यमान पद के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
	(ii) उसके द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर महगाई भत्ते में की गई वृद्धि का लाभ देय होगा अथवा नहीं।	(i) उसके द्वारा विद्यमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर विद्यमान वेतनमान में वेतन के साथ समय-समय पर लागू महगाई भत्ते की दरों के अनुसार महगाई भत्ता देय है।
	(iii) उस कर्मचारी द्वारा राजकीय सेवा के दौरान अर्जित उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवेतन अवकाश/रूपान्तरित अवकाश जो उसके हक में बकाया हो, का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन सेवा अवधि के दौरान उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं।	पूर्व से राज्य सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी के 20 जनवरी 2006 एव इसके पश्चात् परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रूप में राज्य सेवा में उच्च पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उसको पूर्व पद पर अर्जित अवकाश से अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
	(iv) उस कर्मचारी को यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश देय हो, उसके द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश देय होंगे अथवा नहीं।	परिवीक्षाधीन कर्मचारी को यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश देय है परन्तु उसके द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर उपार्जित अवकाश देय नहीं है।
	(v) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की सेवा अवधि में उपार्जित अवकाश एवं रूपान्तरित अवकाश देय होगा अथवा नहीं।	राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 122ए के प्रावधान अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी सेवा अवधि में कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

भवदीय



(डी.के.मिस्तल)

संयुक्त शासन सचिव
लोक सूचना अधिकारी